न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
76/2017/प्रा.पत्र/2017	27.09.2017	03.09.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं06 उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोक राज0

2– मैसर्स न्यू शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 03.09.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.05.2017 को समय 11.45 ए.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स न्यू शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोक राज0पर पहुंचां। प्रोपराईटर की की हैसियत से सत्यनारायण साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं06 उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि [illegible] ता को विक्रय हेतु दुकान मे फीजर मे फैट फोजर्न डेजर्ट(ब्लैक [illegible] [illegible] पैकिंग की. दिनांक 05/2017 अंकित थी,रखा हुआ थ[illegible] निरीक्षण कर[illegible] मिलावट की शंका होने पर, विकेता श्री सत्यनारायण साहू को [illegible] के समक्ष फार्म [illegible] 5ए में वास्ते नमूना [illegible]ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:04:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सत्यनारायण साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान के फ्रीज मे 4 लीटर पैक के लगभग 10 पैकेट मिडियम **फैट फोजर्न डेजर्ट(ब्लैक बैरी)** रखे हुये मे से 2 पैक का चयन कर पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील के जग मे 1200 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री सत्यनारायण साहू को रू0 200/–अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **फैट फोजर्न डेजर्ट(ब्लैक बैरी)** 1200 ग्राम को हिला मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर चार साफ एंव सूखी कांच की शिशियो मे बराबर–बराबर (प्रत्येक शिशी मे 300–300 ग्राम) नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग मे 40 प्रतिशत फारमेलिन की 24–24 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1670 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1670 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. सत्यनारायण साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2017/3537 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/380/एक्ट/2017/40[illegible] सत्यनारायण साहू से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया फैट फोजर्न [illegible] बैरी) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 201[illegible] (1) के अनुसार मिथ्याछाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का **फैट फोजर्न डेजर्ट(ब्लैक बैरी)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **फैट फोजर्न डेजर्ट(ब्लैक बैरी)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फैट फोजर्न डेजर्ट(ब्लैक बैरी)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं06 उनियारा जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स न्यू शिवानी ज्यूस सेन्टर बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोक राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner